

**सर्वसिद्ध,  
सशिक्षा, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
पुलवत प्रदेशा सचिवालय।**

संख्या- प्राथमिक/परिषद सचिवालय/२०२०/११७१

तारिख: दिनांक: १९-९-२०१०

**-सामाजिक प्रश्न-**

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यसूची अंतर्गत शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र २०१०-२१ हेतु डिप्लोमा सर्वोच्च शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के लक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा परिषद, २०१० सचिवालय से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक १०-९-२०१० को अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, २०१० सचिवालय की अध्यक्षता में परिषद सामाजिक प्रश्न बैठक संभव हुई। बैठक में सभित द्वारा सत्र २०१०-२१ हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्ति से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/प्राप्तिकरण/प्रवेश कक्षा कृति सभित अथवा सत्री या विचार कक्षा हेतु सत्र २०१०-२१ हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुमति में सम्बद्धता सभित की बैठक में पत्र-३ में डिप्लोमा इन कार्यसूची प्राप्ति/प्राप्तिकरण संबंधित करने संबंधी पूर्ण से सम्बद्धता संस्थाओं का प्रकाश करा गया। सम्बद्धता सभित द्वारा पत्रा विचार-विचार का निर्णय निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्यसूची प्राप्ति/प्राप्तिकरण संबंधित करने वाली संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा परिषद, २०१० सचिवालय से पूर्ण से सम्बद्धता है। एवं सत्र २०१०-२१ हेतु पीठरी/आई० द्वारा सत्र पूर्ण प्रमाण अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरी/आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उपाय पाठ के सम्बद्ध अर्जित प्राप्ति/प्राप्तिकरण सत्र के साथ सत्र २०१०-२१ हेतु परिषद से सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने पर सभित द्वारा विचार-विचार किया गया एवं सर्वसम्बद्धता से पीठरी/आई० द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुसार सत्र २०१०-२१ हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक १४-०९-२०१० को अखिल सम्बद्धता सभित की बैठक में किये गये सामाजिक निर्णय की अनुमति में शिक्षा संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, २०१० सचिवालय द्वारा सत्र २०१०-२१ हेतु निर्णयित सत्री के अर्जित प्राप्ति/प्राप्तिकरण एवं उपाय अर्जित अंतर्गत हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	संस्था का नाम	का	दिनांक/सत्र २०१०-२१ में अनुमोदन प्राप्त	दिनांक/परिषद सत्र २०१०-२१ में अनुमोदन प्राप्त
१	२०१०	श्री गुरु राम प्रसाद मिश्रा ज्योतिष और योग संस्थान।	दिल्ली इन	का	००	००

**सम्बद्धता हेतु अर्जित**

- ✓ संस्था प्राप्ति/प्राप्तिकरण/प्राप्ति/प्राप्तिकरण द्वारा निर्णय की जाती है।
- ✓ सत्र सत्र अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं १९९९ सत्र अंतर्गत शिक्षा परिषद निर्णयित २०१० निर्णय निर्णयित-२०१० सत्र अथवा निर्णय निर्णय एवं अर्जित का अनुमोदन अर्जित सत्र सत्र निर्णय निर्णय द्वारा निर्णय निर्णय अंतर्गत अर्जित प्राप्ति/प्राप्तिकरण हेतु पत्र ३०.१९०००/- अर्जित, की सत्री सत्री सत्री सत्री हेतु २०-१०.०००.००/- अर्जित एवं एक सत्र की सत्री सत्री सत्री की सत्री सत्री सत्री सत्री हेतु १०-२००००

*(Handwritten signature)*

- 00 प्रत्येक युक्त ही कार्यक पात्र/पात्र से बना किया जाएगा। वर्गीकृत के अतिरिक्त पात्र/पात्रों से युक्त की संख्या में सहा-सहा पर सामान द्वारा निर्धारित किने जाने वाले सामग्रीका इकाई होने, और हरदुमर कार्यकारी किना जमा आवश्यक होगा। योम निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु कीमत का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, तो योम की पदीकरण की लागू होगी।
- ✓ संस्था की प्रत्येक प्रविधिक शिक्षा समितियों तथा एवं समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया गया। विनिष्पत्ती-2020 की तारी का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिणाम द्वारा आवेदन करने को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के लिए यह जाने की स्थिति में उच्च प्रदेश सामान के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को सहा-सहा पर निर्धारित सामग्रीके के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धा द्वारा तथा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडवाइसरी/सीटिंग/सीटिंग/सीटिंग से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाकर आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्रदेश सामान द्वारा बनाने वाले विधि/विधि/अभियोग/सामग्री/निर्देशों एवं निर्देश, प्रविधिक शिक्षा, उच्च, अनुसंधान प्रवेश परीक्षा परिणाम, उच्च उच्च प्रविधिक शिक्षा परिणाम उच्च द्वारा बनाने वाले विधि, विनिष्पत्ती, अंशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बना होगी।
- ✓ शिक्षण एवं कार्यकारी परामर्श की समिति यदि सीटिंग/सीटिंग नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त उल्लेखित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था कार्य प्रशासकी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिणाम, अनुसंधान प्रवेश परीक्षा परिणाम, अतिरिक्त शिक्षा निर्धारण एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश प्राप्त को उन्हें प्राप्त प्राप्त किया जाता है तथा उच्च उच्च की संस्था में या, परामर्श द्वारा किसी प्रकार की प्रविधिक कार्यवाही निर्धारित किया जाता है तो उच्च प्रविधिक समिति संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधिगत एवं कार्यकारी परामर्श संबंधित करने वाली संस्थाओं को अनुसंधान प्रवेश परीक्षा परिणाम, उच्च प्रदेश उच्चतर द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्देश प्राप्त होने के पूर्व सीटिंग/सीटिंग के अनुमोदन प्राप्त एवं परिणाम निर्धारण को उच्चतर करना होगा अथवा उन्हें प्राप्त की (अनुमोदन) के सम्बन्ध में उच्च संस्था उच्च पर सीटिंग प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रदेश सामान द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित निर्धारण अनुसार विधि का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर सामान की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सुविधा, उच्च, सहा-सहा, सामग्री, प्राप्त किया जाने वाला सुचारु, प्रत्येक युक्त अति का विचार उच्चतर बनाया होगा।
- ✓ संस्था को विभाग-प्रविधिक हेतु अनुसंधान सामग्री उच्चतर करने की उच्च निर्देश देने की सम्बन्ध में उच्चतर उच्चतर सम्बन्ध सुविधिक करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि संस्था में प्रशासिक/संबन्धित परामर्श की प्रवृत्ति जाने हेतु निर्धारण समिति को उच्च परामर्श करने वाले अभियोग, सुवि-सहा, कार्यकारी उच्चतर सुचारु का यदि उच्च द्वारा किसी अन्य परामर्श के उच्चतर में प्रवेश किया जाता है और परिणाम की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उच्चतर का उच्चतर किसी उच्च कार्य के लिए बन रही है तो उच्चतर संस्था की सम्बद्धा करना किने जाने की अनुमोदन की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धा तारी का अनुपालन न किने जाने उच्च कार्य का उच्चतर किने जाने की स्थिति में विभागाध्यक्ष अनुसंधान/सहा कार्यकारी की जाएगी।

/

(सहा-सहा-सहा-सहा)

सहा

पुनर्को- प्रविधिक/परिणाम सम्बद्धा/2020/ 1000-0141

वर्ष निर्दिष्ट: 15-09-2020

प्रविधिक-सहा-सहा/निर्देश, उच्च पूरा वर्ष प्रवेश परीक्षा कोलेज और कार्यकारी, प्रविधिक।

/

(सहा-सहा-सहा-सहा)

सहा



- ✓ जो जो संस्था-समूह पर निर्णय शासनपदेश के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता पूर्णता जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को २०-आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अस्थापी कर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता अत्यावक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बराबरे एवं विधि/विधये/अधिनियमों/शासनपदेशों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, २०१०, संसुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाने एवं नियमों, विनियमों, अधिनियमों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ संस्थामें इन कार्योंमें प्राथमिकता की सुविधाएँ यदि पी.सी.आई. रूई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्तविले संबंधित हुए संस्था और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था कार्य प्रारंभ करेगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संसुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात समझा दिया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में का न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थामें इन कार्योंमें प्राथमिकता संबंधित करने वाली संस्थाओं को संसुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आशुनित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित कार्य होने के पूर्व पी.सी.आई. रूई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपरोक्त सारांश होगा अत्यंत उर्खे प्रवेश की (आयोजना) के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर संबंधित (अनुमति सूची) प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रेषित हेतु निर्मित नवीनतम आदेशानुसार नियमों का अनुपालन करना अत्यावक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, राज्य, शासन-संस्था, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सूचना, उपकरणता सूचना आदि का विस्तार उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ वैशेष करने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक समस्त सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में उपरोक्त संबंधित वातावरण को पालने जाने हेतु निर्दिष्ट व्यक्तियों के समस्त उपकरण उपलब्ध एवं अभिलेख, भूमि-भवन, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वातावरण के संवाधान में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के वार्षिक विवेकता वीमान यदि संस्था में भूमि, भवन, इमारतगत, उपकरण एवं अन्य प्राप्त-संस्था २०-आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के समस्तानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न लिये जाने अथवा धर्म का उल्लंघन करने जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालनसमक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

सू.सं०- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4109

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य, विदेश, LET, POORAN RAM PRAKASH DIXIT COLLEGE OF PHARMACY, HAMIRPUR-214556

  
(सुनील कुमार सोनकर)



- ✓ यदि संस्थान का एफ-आई-डी/टी/ई/पी/सी/आई/ओ से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपायकारित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
- प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई नया दावा किया जाता है तथा वापर नया के संबंध में या, स्वयंसेवा द्वारा किसी प्रकार की प्रीपुर्न संबंधी अतिरिक्त निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रीपुर्न संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कर्ष प्रवेश हेतु आवेदनिका कायमितींग प्रारंभ होने के पूर्व एफ-आई-डी/टी/ई/पी/सी/आई/ओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कायमितींग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अंतर परपरीषे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु संस्था-नामन पर निर्णय नवीनतम आधुनिक विषयों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सार्व-सञ्चा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुक्त, छात्रावास सुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ ही वेबसाइट के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित लैबोराटोरी परीक्षण के चलते जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-मापन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परीक्षण के संचालन में प्रयोग किया जाता है और समिति को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बन्धित समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्व-सञ्चा एफ-आई-डी/टी/ई/पी/सी/आई/ओ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बन्धित समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित घातों का अनुपालन न किया जाने अथवा एवों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसूचितकार्य कार्यवाही की जाएगी।



(एफ-आई-ओ/आर-ओ)

सचिव

दृ०सं०- प्रविधिक-परिषद सम्बन्धित/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रविधिक-

प्रधानाचार्य/निदेशक, LET, POORAN RAM PRAKASH DIXIT COLLEGE OF PHARMACY



(एफ-आई-ओ/आर-ओ)

सचिव